प्रेस- विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज दिनांक 08-11-2020

गैंगेस्टर का अभियुक्त अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज के नेतृत्व में थाना गोला जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 848/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना गोला जनपद गोरखपुर में वाछित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र मोहन कुमार निवासी तेन्दुहानी थाना गोला जनपद गोरखपुर को दिनांक 08.11.20 समय 07.00 बजे उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द, का0 सत्येन्द्र भास्कर व का0 अनिल यादव के द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके पास से एक अदद चापड़ (चाकू) बरामद हुआ जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 1191/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता -

अमन कुमार पुत्र मोहन कुमार निवासी तेन्दुहानी थाना गोला जनपद गोरखपुर।

बरामदगी-

एक अदद चापड (चाकू)

गिरफ्तारी / बरामदगी का स्थान दिनांक व समय

अम्बेड़कर तिराहा थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, दिनांक 08.11.20 समय 07.00 बजे।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 - 371/19 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम।
2. मु0अ0सं0 - 848/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम थाना गोला, गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 - 1191/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

घटना का विवरण - दिनांक 08.11.20 को उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द, आरक्षी सत्येन्द्र भाष्कर व आरक्षी अनिल यादव देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी में पटना तिराहा कस्बा बड़हलगंज में मामूर था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो थाना गोला में गैगेंस्टर के मुकदमें में वांछित है जिसकी विवेचना आपेक थाना प्रभारी द्वारा सम्पादित की जा रही है जिसकों आप लोगों द्वारा तलाशा जा रहा है इस समय अपने मौसा के घर कोड़ारी से अम्बेडकर तिराहा के रास्ते गगहा किसी संगीन अपराध को कारित करने की नियत से जा रहा है की सूचना पर अमन कुमार पुत्र मोहन कुमार निवासी तेन्दुहानी थाना गोला जनपद गोरखपुर को एक अदद चापड़ (चाकू) के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 1191/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि साहब मेरे खिलाफ थाना गोला में गैगेस्टर का मुकदमा पंजीकृत है जिसमें मै वांछित हुँ जिस कारण मै इधऱ उधर छिप रहा था।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार पाण्डेय, थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री जुगेश कुमार आनन्द थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. का0 सत्येन्द्र भास्कर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
5. का0 अनिल कुमार यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।